(9) नियम 3.26 (डी) विद्वक वकील का तर्क याचिकाकर्ता के वर्ग होने के मामले में नियम लागू नहीं होते हैं-IV (श्रेणी) `डी ') कर्मचारी को स्वीकार किया जाना चाहिए जैसा कि आयोजित किया गया है पूर्ववर्ती पैरा में. हालांकि, यह बचाव के लिए नहीं आता है याचिकाकर्ता क्योंकि नोट -1 नियमों के नियम 5.32-ए में संलग्न है याचिकाकर्ता के मामले पर पूरी तरह से लागू होते हैं. नोट -1 में उपर्युक्त सिद्धांत शक्ति के व्यायाम को सीमित नहीं करता है कर्मचारियों का विशेष वर्ग. इसलिए, हमें कोई संकोच नहीं है उठाए गए तर्क को अस्वीकार करें.

(10) ऊपर वर्णित सभी कारणों के लिए, यह याचिका विफल हो जाती है और वही खारिज किया जाता है.

R.N.R.

न्यायमूर्ति आशुतोष मोहनता और आर.एस. मदन के समक्ष।

सतपाल खान, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ... *उत्तरदाता*

C.W.P. सं. 7746 सन् 2006

15 जनवरी, 2007

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 14, 16 और 226 — हरियाणा राज्य द्वारा जारी निर्देश दिनांक 18 फरवरी, 2002 — याचिकाकर्ता मुस्लिम समुदाय से संबंधित है जिसे निर्देश दिनांक 18 फरवरी, 2002 के अनुसार दाढ़ी रखने की अनुमति न लेने के लिए आरोप-पत्र जारी किया गया — सेवा से पदच्युति — याचिकाकर्ता का कांस्टेबल, दाढ़ी के साथ, के रूप में चयन और दो साल की अवधि तक काम जारी रखा — किसी भी प्राधिकरण ने दाढ़ी रखने के लिए कोई आपत्ति नहीं की और याचिकाकर्ता को दल का अनुशासित सदस्य पाया गया — निर्देश पता चलने पर याचिकाकर्ता अनुमति के लिए आवेदन किया जो कि अनिर्दिष्ट रहा — याचिकाकर्ता का मुस्लिम समुदाय का सदस्य होने के नाते दाढ़ी रखने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन — याचिका अनुज्ञात की गई, उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को सभी आनुषंगिक लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया।

अभिनिर्णित, याचिकाकर्ता ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, पूरी दाढ़ी के साथ, के रूप में सेवा में प्रवेश किया और दो साल की अवधि तक काम जारी रखा। किसी भी प्राधिकरण / प्रधान ने कभी भी सेवा काल में दाढ़ी रखने के लिए कोई

आपत्ति नहीं की। वह दल का अनुशासित सदस्य पाया गया। पहचान पत्र, जिसमें याचिकाकर्ता की तस्वीरों को डीजीपी हरियाणा द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, ने याचिकाकर्ता के चयन के समय और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, मधुबन में प्रशिक्षण के समय दाढ़ी रखने के तथ्य को और अधिक पुष्टि दी।

(पैरा 19)

निर्देशों के बारे में पता चलने पर, याचिकाकर्ता ने मुस्लिम समुदाय से संबंधित बल का सदस्य होने के धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की अनुमति के लिए आवेदन किया, जो अनिर्दिष्ट रहा। अंतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता बाकी सेवा व्यवसाय में दाढ़ी रखने की अनुमति का आवेदन नहीं किया था। सिख उम्मीदवार के मामले में अनुमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका धर्म दाढ़ी रखने के लिए उसे अनुमति देता है। मुस्लिम के मामले में भारत सरकार के निर्देश दाढ़ी रखने की अनुमति देने के लिए बहुत स्पष्ट है। अधिकारी याचिकाकर्ता को सेवा से जाति, रंग और धर्म के आधार पर पदच्युत नहीं कर सकते थे क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14/16 के तहत यह याचिकाकर्ता का एक मौलिक अधिकार है। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश भारत के संविधान में निहित देश के नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकते।

(पैरा 20)

अरुण पल्ली, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

अनमोल रतन सिद्धू, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा।

निर्णय

न्यायमूर्ति आर.एस. मदन।

(1) यह आदेश 2006 के CWP सं. 7746 का निपटान करेगा जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सं. 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 2005 (उपाबंद P-13) के निराकरण को विवादित किया है, आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा को पूरी तरह से अवैध और मनमाने तरीके से बबुद्धि का प्रयोग किए बिना खारिज कर दिया गया है इसके साथ याचिकाकर्ता द्वारा अपील में प्रतिवादी सं. 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2005 (उपाबंद P-15) और आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2006 (उपाबंद P -16) जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सं.1 को दायर की गई दया याचिका को खारिज कर दिया गया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता-सतपाल खान को हरियाणा पुलिस में एक कांस्टेबल के रूप में चुना गया और उसे 17 जून, 2002 को प्रशिक्षण के लिए मधुबन, करनाल में भेजा गया, जहाँ उसने दाढ़ी रखी हुई थी और प्राधिकारी द्वारा किसी भी कोने से याचिकाकर्ता द्वारा दाढ़ी रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। याचिकाकर्ता को D.G.P. हरियाणा द्वारा दो फोटो पहचान पत्र विधिवत हस्ताक्षरित जारी किए गए थे जिसमें उनकी पूरी बढ़ी हुई दाढ़ी को बिना किसी आपत्ति के दिखाया गया है। याचिकाकर्ता को उसके प्रशिक्षण के समय पहचान पत्र दिया गया था यानी जब याचिकाकर्ता पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, मधुबन,करनाल में था और उस कार्ड पर चिपकाए गए फोटो में याचिकाकर्ता को पूरी दाढ़ी के साथ दिखाया गया है। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति और हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के चयन के लिए फॉर्म जमा करने की तिथि से उसकी दाढ़ी थी और हरियाणा पुलिस के किसी अधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा दाढ़ी रखने पर कोई आपत्ति नहीं की गई थी। सभी तथ्य उत्तरदाताओं की सूचना में थे कि याचिकाकर्ता कांस्टेबल के रूप में चयन के पहले दिन से पूर्ण विकसित दाढ़ी रखता था, जो पहचान पत्र की फोटो प्रति से स्पष्ट है (उपाबंद P-1)।

(3) इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता ने हरियाणा पुलिस में सेवा की थी, कार्य में ईमानदारी, निष्ठा और उद्योग के अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें कमेंडेशन उत्प्रेषण दिया गया और उसे रुपये 50 नकद इनाम दिया गया, — जो उपाबंद P-2 है।

(4) 13 दिसंबर, 2003 को याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि कानून / निर्देशों के तहत भी, मुसलमान दाढ़ी रख सकते हैं लेकिन उच्च अधिकारियों की अनुमति लेने के बाद जिस पर याचिकाकर्ता ने तुरंत होशियारपुर में उच्चतर अधिकारियों को अपनी दाढ़ी रखने की अनुमति लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, — जो उपाबंद P -3 है।

(5) भारत सरकार के नियम दिनांक 27 जून, 2001 को अपनाते हुए, 18 फरवरी, 2002 को हरियाणा सरकार ने 1 मार्च, 2002 को दाढ़ी रखने के विषय पर निर्देशों को प्रसारित किया गया था। नियम दिनांक 27 जून, 2001 के अनुसार, मुस्लिम समुदाय से संबंधित बल के सदस्य को धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कमांडेंट बल द्वारा उसे उसके संबंध में अनुमति प्रदान की जाए। केवल यही आवश्यकता है कि निर्देशों (उपाबंद P-4) में वर्णित रूप में दाढ़ी अच्छे से काटी जाए, साफ-सुथरी और सुव्यवस्थित रखी जाए। इसके निराकरण में, 15 सितंबर, 2004 (उपाबंद P -5) को प्रतिवादी सं. 4

ने याचिकाकर्ता द्वारा एसटीसी / बीएसएफ खार्का, होशियारपुर में अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करने के लिए, कि उसने अपनी दाढ़ी नहीं मुंडी. उसके विरुद्ध नियमित जांच का आदेश दिया।

(6) याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा आयोजित नियमित जांच में आरोप-पत्र दिया गया था और यह देखा गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता ने दाढ़ी रखने के लिए उच्च अधिकारियों की कोई अनुमति नहीं ली और उन्होंने अपनी दाढ़ी को काटने से इनकार कर दिया जो कदाचार और लापरवाही है। जांच अधिकारी ने जांच की और सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया है कि याचिकाकर्ता ने जिस दिन से सेवा में प्रवेश किया था उस दिन से दाढ़ी रखता है और कोई आपत्ति नहीं थी। यह भी अभिनिर्णित किया गया था कि एक कर्मचारी केवल अधिकारियों द्वारा पूर्व अनुमति लेने के बाद दाढ़ी रख सकता है लेकिन जैसा कि याचिकाकर्ता ने कोई अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए, वह दाढ़ी नहीं रख सकता था और याचिकाकर्ता को दोषी अभिनिर्णित किया गया। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि जांच अधिकारी ने प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया कि एक बार याचिकाकर्ता ने सेवा में प्रवेश के समय दाढ़ी रखी थी और किसी भी तिमाही द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी, जिसे अनुमति दी गई थी समझा जाए।

(7) उक्त जांच के अनुसरण में, प्रतिवादी सं. 4 ने कारण हेतुक दर्शित सूचना याचिकाकर्ता को जारी किया, कि उसे सेवा से पदच्युत क्यों न किया जाए ध्यान में रखते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया जो जांच अधिकारी द्वारा दोषी ठहराया गया जैसा कि उपाबंद P-10 (जाँच रिपोर्ट) से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने तुरंत जवाब दिया और फिर से सभी तथ्यों को दोहराया, उपाबंद P -11 द्वारा उल्लेख किया गया कि प्रारंभिक नियुक्ति के समय उसने दाढ़ी रखी थी और किसी भी तिमाही द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट दी गई और याचिकाकर्ता ने उक्त जांच रिपोर्ट के खिलाफ पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2005 (उपाबंद P -12) द्वारा अपनी टिप्पणी दी।

(8) सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और उत्तर पर विचार करने के बाद प्रतिवादी सं. 4 ने 28 अप्रैल, 2005 को पदच्युति का एक आदेश पारित किया (उपाबंद P-13) केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने कभी भी नियमों के अनुसार अपने प्रधानों से दाढ़ी रखने के लिए कोई अनुमति नहीं माँगी।

(9)याचिकाकर्ता द्वारा विवादित आदेश से असहमत एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया गया जिसे 29 अगस्त, 2005 को खारिज कर दिया गया था (उपाबंद P -15)। सरकार के समक्ष याचिकाकर्ता की दया याचिका 20

फरवरी, 2006 को भी अस्वीकार कर दी गई (उपाबंद P-16) और उसी को 1 मार्च, 2006 के पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था।

(10) इस पृष्ठभूमि पर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग की उत्प्रेषण की रिट जारी करके आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 2005 (उपाबंद P -13) को रद्द किया जाए जिसके तहत याचिकाकर्ता की सेवा को अवैध और मनमाने तरीके से खारिज कर दिया गया था और इसके साथ आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2005 (उपाबंद P -15) प्रतिवादी स. 3 द्वारा अपील में पारित और सरकार द्वारा दया याचिका में पारित अंतिम आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2006 (अनुबंध P -16)।

(11) सूचना पर, प्रतिवादी 1 से 4 की ओर से उत्तर दिया गया है सभी तथ्यों को दर्ज किया गया और स्वीकृत किया गया, लेकिन इसमें तर्क के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता ने अपने पप्रधानों से अपेक्षित अनुमति नहीं मांगी, भारत सरकार द्वारा 27 जून, 2001 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार और हरियाणा सरकार द्वारा 18 फरवरी, 2002 को (उपाबंद P -4) अपनाई गई। याचिकाकर्ता के पास उनकी समाप्ति को चुनौती देने के लिए सुने जाने का अधिकार नहीं है, इस अंतः, याचिकाकर्ता द्वारा दायर दावा याचिका में प्रार्थना को खारिज कर दिया गया।

(12) हमने श्री अरुण पल्ली, अधिवक्ता जो याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित है और डॉ. अनमोल रतन सिद्धू, अतिरिक्त महाअधिवक्ता, हरियाणा को सुन लिया है और दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया है।

(13) बहुत शुरुआत में याचिकाकर्ता के लिए विद्वक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा याचिकाकर्ता के आचरण, यदि कोई हो, के अनुरूप नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को दाढ़ी के साथ एक कांस्टेबल के रूप में चुना गया था। उसने आगे पहचान पत्र (उपाबंद P-1) को संदर्भित किया है जहां याचिकाकर्ता की तस्वीरे, जिन्हें डी.जी.पी., हरियाणा द्वारा किसी आपत्ति के बिना विधिवत सत्यापित किया गया है, को दाढ़ी के साथ दिखाया गया है। याचिकाकर्ता ने पुलिस विभाग में दो साल की अवधि तक सेवा की। जब उसे हथियार प्रशिक्षण बी.एस.एफ. खार्का, होशियारपुर, के लिए भेजा गया था तब यह पहली बार हुआ की उसे निर्देशित किया गया की अपनी दाढ़ी

को काटा जाए क्योंकि उसने अपने प्रधान से अनुमति नहीं मांगी थी। इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की अनुमति के लिए आवेदन किया। उनके तर्कों के समर्थन में विद्वक अधिवक्ता ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों उपाबंद P-4 का उल्लेख किया। निर्देशों का प्रासंगिक हिस्सा यहां पुन: पेश किया गयाहै : —

"वित्तीय आयुक्त, हरियाणा सरकार के सचिव, गृह विभाग द्वारा जारी पत्र सं. 14/4/2001-3H (C) दिनांक 18 फरवरी, 2002 की प्रतिलिपि और पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को संबोधित <u>विषय:</u>
• <u>अर्ध-सैन्य बालों के कर्मियों द्वारा दाढ़ी रखने के बारे में निर्देश।</u>

ऊपर उल्लेखित विषय पर अपने पत्र सं. 1889 / GA-1, दिनांक 5 फरवरी, 2002 का संदर्भ लें.

2. आवश्यक कार्रवाई के लिए अपेक्षित प्रति उसके पास भेजी गई है।

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा पुलिस का कार्यालय

पृष्ठांकन. सं. 3361-3402 / GA-1, पंचकुला दिनांक 1 मार्च, 2002.

इसके सहपत्र के साथ एक प्रति सूचना के लिए हरियाणा पुलिस कार्यालयों के सभी प्रमुखों को भेज दी जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(वाई. पी. सिंघल)

डी.आई.जी/एडम्न

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के लिए।

पृष्ठांकन. सं. 3361-3402 / GA-1, पंचकुला दिनांक 1 मार्च, 2002.

इसके सहपत्र के साथ एक प्रति वित्तीय आयुक्त और सरकार गृह विभाग के सचिव (हरि.) को भेज दी जाती है w.r.t. उनके मेमो सं. 14-4-2001-3H (C), दिनांक 18 फरवरी, 2002 की जानकारी के लिए।

(वाई. पी. सिंघल)

डी.आई.जी/एडम्न.

पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के लिए।

<u>अर्ध-सैन्य बालों के कर्मियों द्वारा दाढ़ी रखने के बारे में निर्देश।</u>

स्थिरता और एकरूपता के विचार में मामलों के मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अर्ध-सैन्य बालों के कर्मियों द्वारा दाढ़ी रखने के प्रश्न बारे, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए है :

(क) बढ़ाने के बारे में सामान्य नीति (जो दिखे नहीं)

(i) गैर-सिख कार्मिक — बालों को छोटा रखा जाएगा। ठोड़ी और होंठ के नीचे से मुंडा होगा। मूंछ और दाढ़ी, अगर पहनी जाती हैं, तो मध्यम लंबाई की होंगी और साफ़ तरह से रखी जाएगी।

(ii)सिख कार्मिक — सिख कर्मी बाल और दाढ़ी को कपड़े में पहनेंगे, जब वर्दी में हो तो "थाथा " का उपयोग दाढ़ी पर नहीं किया जाएगा।

(iii)महिला कार्मिक — अर्ध-सैन्य बलों में महिला द्वारा सेवा करने के मामले में, बालों को साफ़ रखा जाएगा, मेकअप यदि उपयोग किया जाता है तो हल्का और नरम रंगो का होगा।

(बी) दाढ़ी पहनने के लिए अनुरोध।

एक पर्यवेक्षी अधिकारी जो कमांडेंट के पद से नीचे नहीं या समकक्ष अपने अधीन बल के सदस्य को दाढ़ी रखने के लिए अनुमति निम्नलिखित नियंत्रण शर्तें में दे सकता है: —

(I) मुस्लिम समुदाय से संबंधित बल के सदस्य को धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की अनुमति दी जा सकती है। एक बार अनुमति दे दी गई, तो संबंधित सदस्य को अपनी बाक़ी की सेवा अवधि में लगातार पहनना होगा जब तक लिखित अनुरोध द्वारा इसे हटाने की अनुमति न दी जाए। व्यक्ति की दाढ़ी को विधिवत काटा जाएगा (जो दिखे नहीं)। ऐसे व्यक्ति की दाढ़ी के साथ या बिना की, जिसकी अनुमति हो, तस्वीरें प्रासंगिक सेवा रोल / कार्मिक फाइलें के अंदर रखी जाएगी और पहचान पत्र की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है।"

(14) इस प्रकार, याचिकाकर्ता के लिए विद्वक वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता को नियुक्ति के समय इन निर्देशों की जानकारी नहीं थी और जैसे ही उसे इनकी सूचना मिली, उसने दाढ़ी रखने की अनुमति का आवेदन किया था जो उपाबंद P-3 से स्पष्ट है। लेकिन सभी तथ्यों के बावजूद, उन्हें आरोपित किया गया और सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित जांच की गई। उसे दाढ़ी ना काटने के कारण सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया गया।

(15) जांच रिपोर्ट के आधार पर, याचिकाकर्ता की सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण हेतुक दर्शित सूचना दी गई कि उसकी सेवाओं को खारिज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके उपरांत, उनकी सेवाओं को खारिज कर दिया गया। उन्होंने पहले विद्वक डी.जी.पी को एक अपील को प्राथमिकता दी और उसकी अपील खारिज कर दी गई थी। उनकी दया याचिका को भी सरकार ने खारिज कर दिया था।

(16) दूसरी ओर उनके तर्कों को सहारा देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के खण्ड न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय **हैदर अली** *बनाम* **भारत संघ और अन्य C.W.** सं. **3263** सन् **1999** विनिश्चित **20 दिसंबर, 2002** को संदर्भित किया गया जिसमे सामान्य प्रश्न विचार में लिया गया और न्यायाधीश ने अवधारित किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई ठीक नहीं है और पदच्युति के आदेश को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को सभी आनुषंगिक लाभों के साथ जिसमे नियमों के तहत पिछले वेतन भी है से बहाल कर दिया।

(17) पूर्वोक्त निर्णय से असहमत होकर प्रतिवादी-भारत संघ ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 12386 सन् 2003 दायर की, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को कायम रखा गया।

(18) दूसरी ओर उत्तरदाताओं के लिए विद्वक अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी इसलिए, सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकरण और हरियाणा सरकार द्वारा पारित पदच्युति के आदेश, वैध हैं और उनमे कोई दोष नहीं है और भारत सरकार के निर्देशों दिनांक 27 जून, 2001 और हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2002 को अपनाए गए, के अनुसार पारित किए गए है।

(19) दोनों पक्षों के विद्वक अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्को को विचार में लेते हुए, हमारा यह मानना है कि याचिकाकर्ता ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल, पूरी दाढ़ी के साथ, के रूप में सेवा में प्रवेश किया और दो साल की अवधि तक काम जारी

रखा। किसी भी प्राधिकरण / प्रधान ने कभी भी सेवा काल में दाढ़ी रखने के लिए कोई आपत्ति नहीं की। वह दल का अनुशासित सदस्य पाया गया एवं उन्हें डीजीपी हरियाणा द्वारा सराहनीय सेवाओ के लिए कमेंडेशन उत्प्रेषण और रुपये 50 नकद इनाम दिया गया— जो उपाबंद P-2 है। पहचान पत्र (उपाबंद P-1) जिसमें याचिकाकर्ता की तस्वीरों को डीजीपी हरियाणा द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, ने याचिकाकर्ता के चयन के समय और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, मधुबन में प्रशिक्षण के समय दाढ़ी रखने के तथ्य को और अधिक पुष्टि दी।

(20) निर्देशों के बारे में पता चलने पर, याचिकाकर्ता ने मुस्लिम समुदाय से संबंधित बल का सदस्य होने के धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की अनुमति के लिए आवेदन किया, जो उपाबंद P-3 अनुसार अनिर्दिष्ट रहा। अंतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता बाकी सेवा व्यवसाय में दाढ़ी रखने की अनुमति का आवेदन नहीं किया था। सिख उम्मीदवार के मामले में अनुमति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसका धर्म दाढ़ी रखने के लिए उसे अनुमति देता है। मुस्लिम के मामले में भारत सरकार के निर्देश दाढ़ी रखने की अनुमति देने के लिए बहुत स्पष्ट है। अधिकारी याचिकाकर्ता को सेवा से जाति, रंग और धर्म के आधार पर पदच्युत नहीं कर सकते थे क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14/16 के तहत यह याचिकाकर्ता का एक मौलिक अधिकार है। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश भारत के संविधान में निहित देश के नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकते।

(21) इसलिए, हमें लगता है कि प्रस्तुत मामले में उत्तरदाताओं द्वारा की कार्रवाई गैरकानूनी, अनुचित, अनावश्यक और याचिकाकर्ता का मुस्लिम समुदाय का सदस्य होने के तहत दाढ़ी रखने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अंतः, हम रिट अनुज्ञात करते हैं और प्रतिवादी सं. 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 2005 (उपाबंद P-13), इसके साथ याचिकाकर्ता द्वारा अपील में प्रतिवादी सं. 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 अगस्त, 2005 (उपाबंद P-15) और आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2006 (उपाबंद P-16) जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सं.1 को दायर की गई दया याचिका को खारिज किया जाता है।

(20) उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को सभी आनुषंगिक लाभों जिसमे नियमों अनुसार पिछले वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया जाता है।

R.N.R.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

रूहेला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
करनाल, हरियाणा